

सूचना

दिनांक 09.02.2018

आप सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के रिवाइज कलेक्टर रेट जो दिनांक 12.02.2018 से लागू किये जाने थे आगामि आदेशों तक रोक दिये हैं जिला गुरुग्राम की सभी तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कार्य पुराने कलेक्टर रेट वर्ष 2017-18 के अनुसार किया जाएगा।